Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 13-12-2005

Participants : Rawat Prof. Rasa Singh

>

Title : Need to grant J&K citizenship to Hindu refugees from Pakistan settled in Jammu and Kashmir since 1947.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, सन् 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से आकर जो लोग जम्मू-कश्मीर में बस गये थे। वहां उनकी जमीन, कारोबार और घर था लेकिन वे शरणार्थी बनकर आये और जम्मू-कश्मीर में बस गये। इन्हें भारत की नागरिकता तो मिल गयी, परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य की नागरिकता अभी तक भी प्राप्त नहीं हो पायी है। इन परिवारों की संख्या लगभग 1 लाख के करीब है। जम्मू-कश्मीर की विशेा स्थिति होने के कारण आर्टिकल 370 के अधीन उनको वहां विधान सभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। वहां पर उन्हें केन्द्र सरकार की नौकरियों में, राज्य सरकार की नौकरियों में, शिक्षा, इंजीनियरिंग, मैडीकल आदि की नौकरियों में नहीं रखा जाता है और वे इस प्रकार की सारी सुविधाओं से वंचित हैं। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से प्र ाार्थना करना चाहता हूं कि पाकिस्तान से आये हुए ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें कश्मीर की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार

पर दबाव डाला जाए, जिससे वे लोग भी वहां पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं से लाभान्वित हो सकें।